

अन्य कार्य में व्यस्त है। अभियोग  
कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली गभिक  
कार्यवाही हेतु दिनांक 23.05.24...को  
पेश हो।  
23/5/24

23-05-24

पत्रावली पेश हुई। उभापपक्ष अधिवक्ता उपस्थित  
ब्राह्मीय अधिवक्ता द्वारा जादिर किया की प्राथिका  
प्राथिका पत्र को अग-यत्नाना नहीं चाहते हैं।  
प्राथिका अधिवक्ता द्वारा प्राथिका पत्र को नोट प्रस  
किया गया। अतः प्राथिका पत्र पत्रावली नोट  
प्रस किया जाने से रवारिज की जाती है। पत्रावली  
नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दारिबल दफतर हो।

Not found

23.5.24

पत्रावली नम्बर

उपस्थित अधिवक्ता  
कावेरी (बुन्बी)